15

18

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2018/0016 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.11.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 560/अपील/2015-16.

---

1. मालमसिंह आ. श्री बालाराम
2. श्रीमती चतराबाई पत्नी शिवराज सिंह
3. शिवराज सिंह आ. श्री मोहरसिंह

निवासीगण एवं कृषक ग्राम आलमखेड़ा
तहसील एवं जिला रायसेन, म.प्र. ....आवेदकगण

विरूद्ध

भगवानसिंह यादव आ. श्री मोहरसिंह
निवासी हनुमान मंदिर के पीछे, हरिपुरा
विदिशा एवं कृषक ग्राम आलमखेड़ा,
तहसील एवं जिला रायसेन, म.प्र. ....अनावेदक

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री के.आर. प्रजापति, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/9/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 30.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम आलमखेड़ा स्थित खसरा नम्बर 22/1 रकबा 2.00 एकड़ का सीमांकन कराया, जिसमें रकबा 1.00 एकड़ पर आवेदकगण का कब्जा पाया गया, जिसके आधार पर उक्त भूमि का कब्जा वापिस लेने हेतु आवेदकगण ने तहसीलदार, रायसेन के समक्ष संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जांच उपरांत तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 02/अ-70/14-15 दर्ज कर दिनांक 06.05.2015 के द्वारा आवेदकगण को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, रायसेन के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12.05.2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 3011.2017 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) प्रकरण में यह मान्य तथ्य है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि विवादित सीमांकन की कार्यवाही के संबंध में आवेदकगण को कोई सूचना नहीं दी गई थी। सीमांकन की कार्यवाही आवेदकगण की अनुपस्थिति में संपादित की गई थी। राजस्व निरीक्षक की स्वीकारोक्ति एवं प्रकरण में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया ही प्रचलन योग्य नहीं था।

(2) प्रकरण में यह मान्य तथ्य है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन की कार्यवाही के एकपक्षीय आधार पर संपादित करते हुए 1.00 एकड़ भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा होने का उल्लेख किया गया था, परंतु अधीनस्थ तहसील न्यायालय ने कथित सीमांकन प्रतिवेदन में उल्लेखित 1.00 एकड़ भूमि के स्थान पर आदेश दिनांक 06.05.2015 के द्वारा आवेदकगण को 2.00 भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये गये, परंतु दोनों ही अधीनस्थ

न्यायालयों द्वारा उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है।

(3) विवादित सीमांकन की संपूर्ण कार्यवाही संभावनाओं के आधार पर की गई है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा काल्पनिक सीमा चिन्ह अंकित करते हुए सीमांकन किये जाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि जिन सीमा चिन्हों का उल्लेख सीमांकन प्रतिवेदन में किया गया है, वह मौके पर या तो अस्तित्व में ही नहीं है या उनके आधार पर सीमांकन की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

(4) अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में साक्ष्य के दौरान मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत नहीं की गई थी, जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय के समक्ष मूल दस्तावेज या मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलियिां ही ग्राह्य योग्य है। मूल या प्रमाणित प्रतिलिपियों के अभाव में अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया ही प्रचलन योग्य नहीं था, परंतु अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की है।

(5) प्रकरण प्रस्तुत किये जाने बावत् कोई वादकारण उत्पन्न ही नहीं हुआ है। अनावेदक द्वारा केवल संभावनाओं के आधार पर यह उल्लेखित किया गया है कि आवेदकगण द्वारा अनावेदक की भूमि पर कब्जा कर लिया है, जबकि कब्जे के संबंध में स्पष्ट तिथि का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। परिणाम स्वरूप संभावनाओं के आधार पर प्रकरण में कोई भी न्यायालयीन कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किये बिना ही विवादित आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है। अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त तीनों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन विधिवत् हुआ है जिसके आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 की कार्यवाही की गई है । अभिलेख से स्पष्ट है कि आवेदक को अवैध कब्जे से बेदखल करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की है ।अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

> "धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-11-2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-11-2017 स्थिर रखा जाता हैं । निगरानी निरस्त की जाती है ।

सीडर

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर